



बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
परिवहन भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-1
Phone No. 0612-2223527



निविदा संख्या 3747

दिनांक 22-11-2018

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन हेतु इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने एवं विभिन्न शहरों को बस परिचालन से जोड़ने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित करता है। बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों में रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	पटना-नवादा	10
2	पटना-पालीगंज	10
3	पटना-औरंगाबाद	10
4	पटना-सिवान	10
5	पटना-गोपालगंज	05
6	पटना-पूर्णियाँ	05
7	पटना-रक्सौल	06
8	पटना-समस्तीपुर	10
9	पटना-बेतीया	05
10	पटना-किशनगंज (बिहार)	02
11	पटना-बिहारशरीफ	02
12	आरा-छपरा	02
13	पटना-कनपापुल वाया नौबतपुर, बिक्रम	04
14	पटना-बहादुरगंज-ठाकुरगंज (बिहार)	02
15	पटना-बरहरी	02

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की विवरणी, आवेदन प्रारूप एवं परिचालन की शर्तें <http://bsrtc.org.in> पर देखी जा सकती है।

नोट :

निविदा देने की अन्तिम तिथि 19.12.2018 को 01 बजे अपराह्न तक है। निविदा शुल्क के साथ EMD राशि Chief Account Officer, B.S.R.T.C. Patna के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतये होगा।

प्रशासन मुख्य

प्रशासक

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

परिवहन भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-1

बिहार- अन्तर्क्षेत्रीय के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत इच्छुक वाहन स्वामियों से निम्नलिखित मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

बिहार- अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	पटना-नवादा	10
2	पटना-पालीगंज	10
3	पटना-औरंगाबाद	10
4	पटना-सिवान	10
5	पटना-गोपालगंज	05
6	पटना-पूर्णियाँ	05
7	पटना-रक्सौल	06
8	पटना-समस्तीपुर	10
9	पटना-बेतीया	05
10	पटना-किशनगंज (बिहार)	02
11	पटना-बिहारशरीफ	02
12	आरा-छपरा	02
13	पटना-कनपापुल वाया नौबतपुर, बिक्रम	04
14	पटना-बहादुरगंज-ठाकुरगंज (बिहार)	02
15	पटना-बरहरी	02

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर आवेदक द्वारा निविदा दो भागों में मुहरबंद लिफाफे में अलग-अलग समर्पित की जायेगी :-

भाग-I तकनीकी निविदा (अलग से मुहरबंद लिफाफे में)

तकनीकी निविदा में निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/मोबाईल नं० :-
5. कुल आवेदित बसों की संख्या :-
6. निविदा शुल्क की विवरणी :-
7. EMD राशि की विवरणी :-
8. कुल EMD की राशि :-

मार्ग एवं बसों की विवरणी निम्नवत् फॉरमेट में जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है :-

क्रम संख्या	मार्गों का नाम	बसों की संख्या	वाहन का निबंधन संख्या/ चेसीस नं० / इंजन नं०

भाग I निविदा के लिफाफे में निविदा शुल्क `5,000/- एवं EMD राशि का डिमांड ड्राफ्ट बिहार- अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के लिए `10,000/- प्रति बस की दर से कुल आवेदित बसों का संलग्न करना अनिवार्य है।

9. कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ-पत्र।
10. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
11. Individual आवेदन होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण-पत्र।
12. वाहन का निबंधन संख्या/चेसीस नं०/इंजन नं० का कागजात परिचालन में दिए गए शर्त के अनुसार।
13. वैसे वाहन स्वामी जो निगम के साथ अनुबंधित है और बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर वाहन परिचालन करने हेतु आवेदन देना चाहते है उन्हें आवेदन में उल्लेखित बसों का निबंधन संख्या/

चेसीस नं0/इंजन नं0 के संबंध में यह शपथ पत्र देना अनिवार्य है कि आवेदन में उल्लेखित वाहनों का निगम के नाम से पूर्व से परमिट आवेदित/प्राप्त नहीं है।

भाग –II वित्तीय निविदा (अलग से मुहरबंद लिफाफे में)

आवेदक द्वारा वित्तीय निविदा नीचे दिये गये फॉरमेट में समर्पित की जायेगी।

क्रम संख्या	मार्गों का नाम	बसों की संख्या	निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में)	
			अंको में	शब्दों में

1. वित्तीय निविदा उन्हीं आवेदकों का खोला जाएगा जिनका तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा।
2. वित्तीय निविदा निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि प्रतिशत में (अंक एवं अक्षरों दोनों में)अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता द्वारा भरे गये राशि में ओभर राईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।
भाग- I और भाग- II दोनों अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को भेजने से पूर्व एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद किया जायेगा। निविदादाता द्वारा जिस मार्ग पर निविदा देना है वह मार्ग यथा "बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर PPP बसों का संचालन" अंकित रहेगा।

वाहन परिचालन की शर्तें :

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निम्न शर्तों पर वाहनों का एकरारनामा कर निगम के नियंत्रणाधीन बसों का परिचालन किया जाएगा:-

1. परिचालकों का चयन वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के निबंधन संख्या, वाहन का मॉडल एवं उपलब्ध होने वाले यात्री सुविधा के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
2. परिचालकों का चयन अधिकतम राजस्व प्रतिशत देने के आधार पर किया जायगा। निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैटान क्षमता x प्रति खेप x भाड़ा x निगम राजस्व प्रतिशत के आधार पर की जायगी। राजस्व का प्रतिशत बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर 07% से कम स्वीकार्य नहीं होगा।
3. अन्य बिन्दु समान होने पर उन परिचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक बसें संचालन की क्षमता रखते हों एवं जिनका निगम राजस्व प्रतिशत अधिक होगा।
4. आवेदक द्वारा निविदा राशि ` 5,000/- एवं प्रति बस ` 10,000/-EMD की राशि निगम में (भाग-I तकनीकी निविदा में) जमा की जाएगी। तकनीकी निविदा निर्धारित EMD के साथ ही समर्पित की जायेगी। EMD राशि का Demand Draft "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna, के नाम से जमा किया जायेगा। निविदा के साथ निविदा शुल्क एवं EMD नहीं रहने पर आवेदन रद्द किया जायेगा। असफल आवेदकों का EMD लौटा दिया जायेगा। सफल आवेदकों का EMD सुरक्षा जमा राशि के तहत समायोजित किया जायेगा।

5. चयनित परिचालकों को एकरारनामा पश्चात् बस का परिचालन आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रति बस एक लाख सुरक्षित राशि (Bank Guarantee/NSC/Fixed Deposit) जमा करनी होगी जो कि निगम के नाम से बंधक (Pledge) होगा जिसकी न्यूनतम अवधि 5 वर्ष 6 माह तक होगी।
6. निगम की राजस्व हिस्सेदारी माहवार अग्रिम जमा करनी होगी।
7. आवेदकों को आवेदन पत्र (भाग I –तकनिकी निविदा) के साथ वाहन का निबंधन संख्या एवं वाहन का कागजात लगाना होगा। निबंधन संख्या नहीं रहने पर नई वाहन का चेसीस नं0/इंजन नं0 का कागजात उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. बसों का व्हील वेस 4920mm या उससे अधिक होगा तथा बस 2016 अथवा Latest मॉडल की होगी।
9. बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा 05 वर्ष अवधि के लिए किया जायेगा।
10. एकरारनामा पश्चात् परमिट प्राप्ति हेतु वाहन स्वामी को वाहन का मान्य कागजात एवं आवेदन शुल्क निगम में जमा करना होगा। निगम द्वारा आवेदित मार्गों का परमिट ST/RTA से स्वीकृत होने के पश्चात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
11. संबंधित प्राधिकार से परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन स्वामी द्वारा वाहन का मान्य कागजात, अधिभार शुल्क, पूर्व से यदि वाहन पर परमिट हो तो परमिट प्रत्यार्पण का शपथ पत्र, आदि 07 दिनों के अन्दर निगम में जमा करना होगा।
12. परिचालकों द्वारा मोटर वाहन नियमों का पालन किया जायेगा तथा किराया भाड़ा एवं कर संबंधित राज्यों द्वारा समय-समय पर विहित उपबंधों के व्यवस्था के अनुसार होगा।
13. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग के लिए आवेदन दे सकते हैं। निविदा को आंशिक/ पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।
14. वैसे आवेदक जो पूर्व में बिहार- अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर बस चलाने हेतु आवेदन निगम में दे चुके हैं तथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया है, उन्हें नये सिरे से इस निविदा में आवेदन करना होगा।
15. निगम के बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. भाग –I तकनिकी निविदा आवेदन प्रपत्र पर जमा किया जाएगा जो परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। आवेदन प्रपत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
17. भाग –II वित्तीय निविदा आवेदन प्रपत्र पर जमा किया जाएगा जो परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है। आवेदन प्रपत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
18. वैसे वाहन स्वामी जो निगम के साथ अनुबंधित है और बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर वाहन परिचालन करने हेतु आवेदन देना चाहते हैं उन्हें आवेदन में उल्लेखित बसों का निबंधन संख्या/ चेसीस नं0/इंजन नं0 के संबंध में यह शपथ पत्र देना अनिवार्य है कि आवेदन में उल्लेखित वाहनों का निगम के नाम से पूर्व से परमिट आवेदित/प्राप्त नहीं है।
19. आवेदक/निविदादाता को कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ-पत्र।
20. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
21. Individual आवेदक होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण-पत्र।

22. वित्तीय निविदा निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि प्रतिशत में (अंक एवं अक्षरों दोनों में)अंकित करना अनिवार्य है।

निविदाओं का समर्पण:-

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.12.2018 को 01:00 PM बजे तक परिवहन भवन, वीरचन्द पटेल पथ पटना-1(दूरभाष संख्या 0612.2223527) पर निश्चित रूप से बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर आवेदक द्वारा निविदा शुल्क ` 5,000 एवं प्रति बस ` 10,000 /-EMD की राशि Demand Draft “**Chief Account Officer B.S.R.T.C.**” Payable at Patna, के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतये होगा। तकनीकी निविदा इसी दिन 03:00 PM बजे आवेदकों के समक्ष जो उपस्थित रहना चाहते हों, खोली जायगी। वित्तीय निविदा उन्हीं आवेदकों का खुलेगा जिनका तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा। मुहरबन्द निविदा प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800001 बिहार, के पते पर भेजा जा सकता है। प्रस्तावित निविदा उपरोक्त दर्शाये गये पते पर डाक/ कुरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से, निर्धारित तिथि तथा निर्धारित समय तक अथवा उससे पूर्व भेजा जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक आवेदक इस विषय में जानकारी के लिए दूरभाष संख्या-0612-2223527 पर किसी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रशासन मुख्य

प्रशासक

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

बिहार – अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग

(भाग-I तकनीकी)

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-

4. सम्पर्क दूरभाष संख्या / मोबाईल नं०:-

5. कुल आवेदित बसों की संख्या:-

6. निविदा शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) की विवरणी:

राशि, बैंक का नाम

ड्राफ्ट नं०....., दिनांक

7. EMD डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी:

राशि, बैंक का नाम

ड्राफ्ट नं०....., दिनांक

8. कुल EMD की राशि :

क्रम सं०	मार्गों का नाम	बसों की संख्या	वाहन का निबंधन संख्या / चेचीस नं० / इंजन नं०

नोट :- बसों का कागजात आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन की तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग

(भाग-II वित्तीय)

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या / मोबाईल नं०:-
5. कुल आवेदित बसों की संख्या:-
6. ईमेल :-

क्रम सं०	मार्गों का नाम	बसों की संख्या	निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में)	
			अंको में ()	शब्दों ()

आवेदन की तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर